कार्यालय प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, दूनी (टोंक)

gckanyadooni@gmail.com

क्रमांक / रामदे / 2024 / 1039 दिनांक : 06/03/2024

विज्ञप्ति

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के परिपत्र 12.08.2023 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2)वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 07.08.2023 एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, के पत्रांक राजकाज रिफ्रेंश नं. 5973646 दिनांक 06.03.2024 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित "विद्या संबल योजना" के अन्तर्गत द्वितीय सेमेस्टर में अध्यापन कार्य पूर्ण होने तक (अधिकतम 14 साप्ताहिक घण्टे अनुसार) 800/– रूपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी (पूर्णतया अस्थाई) के रूप में निम्नांकित विषयों में अध्यापन कार्य कराने हेतु दिनांक 11.03.2024 को दोपहर 2.00 बजे तक कार्यालय प्राचार्य,राजकीय महाविद्यालय, देवली (टोंक) पिन कोड 304804 में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है । दिशा – निर्देशों की अधिक जानकारी हेतु महाविद्यालय वेबसाईट **https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcdeoli** पर देख सकते हैं ।

विषय :–भूगोल , हिन्दी साहित्य , इतिहास, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य,

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय, देवली (टोंक)

एवं नोडल अधिकारी राजकीय कन्या महाविद्यालय,दूनी (टोंक)

क्रमांक / रामदे / 2024 /

दिनांक :–

प्रतिलिपि :– प्रकाशनार्थ –

1. दैनिक भास्कर, देवली को लेख है कि उक्त राजस्थान संस्करण में डीपीआर दर से प्रकाशित कर कार्यालय में दो प्रतियों में बिल प्रस्तुत करें ।

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय, देवली (टोंक)

एवं नोडल अधिकारी राजकीय कन्या महाविद्यालय,दूनी (टोंक)

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302015, राजस्थान
वेब साईट:– http:/hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
ई.मेल:– hrd.cce/gmail.com फोन न. 0141–2706736(O)

क्रमांक:एफ1 (02)विद्या सम्बल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21–00638/16 दिनांक–06/03/2024

प्राचार्य,
समस्त राजसेस अधीन महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय:– विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत राजसेस अधीन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किये जाने के संबंध में।
संदर्भ:– विभाग का पूर्व राजकाज नम्बर 4508345 दिनांक 12.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि वर्तमान में प्रथम वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली लागू किये जाने के फलस्वरूप महाविद्यालयों में द्वितीय सेमेस्टर में अध्यापन कार्य करवाये जाने हेतु पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त निम्न निर्देशों की पालना करते हुये आवेदन आमंत्रित कर अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें:–

(1) उक्त व्यवस्था द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा प्रारम्भ होने अथवा द्वितीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो तक जारी रहेगी लेकिन नियमित नियुक्ति होने अथवा कार्यव्यवस्थार्थ शिक्षक लगने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

(2) उक्त योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु लगाये जाने के संबंध में संबंधित प्राचार्यों के स्तर पर विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों की पालना करते हुये कार्यवाही की जानी है तथा पूर्व में दिये गये शपथ–पत्र को भरवाया जाना सुनिश्चित करें।

(3) विद्या संबल योजना के अन्तर्गत पैनल तैयार कर गेस्ट फैकल्टी को आवश्यकतानुसार आमंत्रित किये जाने से संबंधित समस्त कार्यवाही नोडल महाविद्यालय/राजसेस महाविद्यालय के स्तर पर ही की जानी हैं।

RajKaj Ref
5973646

(4) वित्त विभाग द्वारा दिनांक 30.03.2021 एवं 07.08.2023 को जारी परिपत्र में वर्णित दरो पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन गेस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

(5) पत्र जारी होने की दिनांक से तीन कार्य दिवस का समय देते हुये विद्या संबल योजना के तहत आवश्यकतानुसार अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी से आवेदन प्राप्त कर पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों की पालना करते हुये पैनल तैयार कर वरियता के अनुसार गेस्ट फैकल्टी को अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाना है। शेष शर्तें पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार यथावत रहेगी।

<u>उक्त आदेश की पालना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए द्वितीय सेमेस्टर में 13 मार्च तक अध्यापन कार्य शुरू करवाना सुनिश्चित करें।</u>

06/03/24
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
02. नोडल महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन राजसेस महाविद्यालयों से उक्त निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।
03. रक्षित पत्रावली।

06/03/24
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर